कांस्टीट्यूशन में और जिस राजभाषा के पद पर हम ने हिन्दी को 18 साल पहले से ही बैठाया हुआ है उसे व्यवहार में भी मान्यता दिलायें। इन 18 सालों में भले ही अपनी नालायक़ी से अथवा और किन्हीं कारणों से हिन्दी को हम व्यवहार में नहीं लाये और उस को अपेक्षित स्थान नहीं दिला पाये हैं कम से कम आज इस विधेयक के जरिए यह भावना साफ़ दिखाई पड़नी चाहिए कि उत्तरोतर हम हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अंग्रेज़ी जब तक कुछ लोगों के लिए वास्तविक जरूरत हो उतने वक्त तक उस को चलायें लेकिन उस के लिए हिन्दी को डिसऐडवांटेज (नुकसान) में नहीं डालना चाहिए। बाक़ी दरअसल इस हिन्दी और अंग्रेज़ी के पीछे सारे झगड़े की जड़ में नौकरियां हैं। हमारे भारतवर्ष में आज से नहीं मैकाले के समय से सरकारी नौकरी की महत्ता समझी जाती रही है, हर एक शिक्षित नौजवान नौकरी पाने के लिए उत्सुक रहता है और अलावा नौकरी करने के उस की दृष्टि और कहीं नहीं जाती है। हमारे देश के नौजवानों के विकास की प्रगति का कुछ भी फाटक खुला है तो वह सरकारी नौकरी की प्राप्ति है। उस के ही सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए जैसा मैं ने कहा है इस हिन्दी अंग्रेज़ी के पीछे सारा झगड़ा यह सरकारी नौकरियां ही हैं। अंग्रेज़ी भाषा चूंकि वह किसी की भाषा नहीं थी वह एक विदेशी भाषा थी इसलिए सब को उस में बराबर डिसऐडवांटेज (असुविधा) थी लेकिन अगर हिन्दी हो जायेगी तो जाहिर है कि हिन्दी भाषा भाषी लोगों को औरों के मुक़ाबले ऐडवांटेज (सहुलियत) हो जायेगी। They will have an edge over some दरअसल बात यह है, और उस में मैं मानती हूं कि कुछ सचाई भी है। इस के लिए हम ऐडजस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि पिछले 20 साल में तो हम ने हिन्दी के लिए कुछ किया नहीं, हिन्दी हम लाय नहीं। अब 1965 के बाद आज यह मानना चाहिए कि कांस्टीट्यूशनल पोज़ीशन (संवैधानिक स्थिति) यह है कि हिन्दी इस देश की आफिशियल लैंग्वेज है तब किसी न किसी तरीक़े से उसे सरकम्वेंट करके अंग्रेज़ी को ऊपर लाने की कोशिश की जाय। जरूरत इस बात की है कि ईमानदारी के साथ और एक निश्चित प्रोग्राम के साथ हम हिन्दी का विकास करें और व्यवहार में उसे लायें लेकिन यह शर्त आप ने क़ायम रखी कि अगर किसी ने हिन्दी में चिट्ठी लिखने की हिम्मत की तो उसे उस का अंग्रेज़ी ट्रान्सलेशन देना पड़ेगा तो कोई हिन्दी में लिख कर क्यों इतना फजीता मोल लेगा और हिन्दी कोई नहीं सीखेगा, किसी को पर्वाह नहीं होगी और उस हालत के रहते कौन इतनी तकलीफ़ उठायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या कल को अपना भाषण जारी रक्खें।

17.59 Hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TENTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : I beg to present the Tenth Report of the Business Advisory Committee.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 8, 1967/Agrahayana 17, 1889 (Saka).

L93LSS(CP)/67—1010—2-3-68—GIPF.